

राजस्थान सरकार

(कायदा - 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

2024/71

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111-128 प्राथना पत्र	37/24	21/2/2024	1/5/24 PABH	18/3/2024

अनवान

~~श्री~~ श्री देवी पाली दिनेश कुमार सोनी

श्री प्रभुलाल श/0 कजोड़ जाति हाकड़

निवासी बिजौलिया कलां,

निवासी नयागांव

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोंडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री मुकेश कुमार हाकड़

श्री

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

विजौलियां

पत्रावली

बनाम






प्रभुलाल

किरम मुकदमा -

111-128

नम्बर 37

/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/2 /2024	<p>प्रार्थना पत्र सीगे से वाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलवी/जवाब दिनांक 18/3/2024 को पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी विजौलियां </p>	<p>18/3/24</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 21/2/24 को वास्ते तलवी पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी </p>
21/4/24	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 23/4/24 को वास्ते तलवी पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी </p>	
23/4/24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पूर्ण उपस्थित। विपक्षीय वाद तालील प्राप्त हुई, विले शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीय के विरुद्ध एक-पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली वास्ते निर्णय आगामी दिनांक 01/05/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी विजौलियां जिला-भीलवाड़ा </p>	
01/5/24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पूर्ण उपस्थित। पत्रावली में आदेश/निर्णय पारित किए गए। पत्रावली फरख्त शुमार होकर, नम्बर से कम होकर, दाखिल एकर हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी विजौलियां जिला-भीलवाड़ा </p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 37/24

तारीख दायर 21/2/24

1. मैनादेवी पत्नि दिनेश कुमार सोनी जाति सोनी उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. सुमन पत्नि मुकेश कुमार सोनी जाति सोनी उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया खुर्द तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रभुलाल पुत्र कजोड़ जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बड़ा नयागांव तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. श्वेता पत्नि मंयक राव जाति राव उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :-

दिनांक 01/05/24

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक श्री मुकेश धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम केसुविलास पटवार हल्का जावदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 48 पर अंकित आराजी संख्या 8 रकबा 13-09 बीघा (तैरह बीघा नौ बिस्वा) भूमि है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाखुर्द को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर उपरोक्त वर्णित भूमि की बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 37/24

तारीख दायर 21/02/24

प्रेषिति :-

तहसीलदार

बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 37 / 2024 पत्थरगढ़ी बाबत ।

1. मैनादेवी पत्नि दिनेश कुमार सोनी जाति सोनी उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. सुमन पत्नि मुकेश कुमार सोनी जाति सोनी उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया खुर्द तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रभुलाल पुत्र कजोड़ जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बड़ा नयागांव तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. श्वेता पत्नि मंयक राव जाति राव उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है जाकर मौजा ग्राम केंसुविलास पटवार हल्का जावदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 48 पर अंकित आराजी संख्या 8 रकबा 13-09 बीघा (तैरह बीघा नौ बिस्वा) भूमि की बशामलात पड़ोसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियांखुर्द को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं एवं कमिश्नर फीस नियमानुसार वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थी अदा करेगा । पत्थरगढ़ी करने से पूर्व पड़ोसी एवं विपक्षीगणों को सूचित करे।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा
बिजौलियाँ

रीडर

अधिकारी, बिजौलियाँ